प्रकरण संख्या 32/2020 अम्बालाल बनाम मदनलाल

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.10.2022	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा डबोक में आराजी नंबर 3277 रकबा 11 बिस्वा, 3278 रकबा 8 बिस्वा एवं 3759/3278 रकबा 8 बिस्वा भूमि स्थित है। वर्तमान में आराजी नंबर 3277 मुझ वादी अम्बालाल व प्रतिवादी संख्या 8 डालचन्द व प्रतिवादी संख्या 9 से 13 के पिता गोविन्दराम के नाम अंकित है। आराजी नंबर 3278 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम 1/2 हिस्से अनुसार अंकित है तथा आराजी नंबर 3759/3278 प्रतिवादी संख्या 3 से 7 के नाम तथा डोलीबाई बेवा हेमराज के नाम अंकित है, परन्तु डोलीबाई का स्वर्गवास हो चुका है। पूर्व में उक्त कुलिया आराजी हम वादी व प्रतिवादीगण के मौरूस लच्छीराम, हेमराज, लेहरीलाल पिता काना जी ब्राहमण के नाम अंकित थी, जिसका करीब 35 वर्ष पूर्व आपसी बंटवारा होकर आराजी नंबर 3278 व 3759/3278 मुझ वादी के पिता के रखी गयी तथा आराजी नंबर 3277 लेहरीलाल व हेमराज के रखी गयी। तब से मौके पर उक्त आराजियात का कब्जा स्वतंत्र रूप से वादी का चला आ रहा है, किन्तु गलती से विभाजन के समय आराजी नंबर 3278 व 3759/3278 जो वादी के कब्जे में चली आ रही थी, वह प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के पिता के नाम दर्ज हो गयी व आराजी नंबर 3277 मेरे पिता के नाम दर्ज हो गयी, जो उनके मरने के बाद विरासत से मुझ वादी व मेरे भाई डालचन्द व गोविन्दराम के नाम दर्ज हो गयी। वादी ने अपने कब्जे की आराजी नंबर 3278 व 3759/3278 को काफी पैसा खर्च आबाद किया है, किन्तु उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम दर्ज हो जाने से वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। वादी का आराजी नंबर 3278 व 3759/3278 पर कब्जा 32 वर्ष से भी अधिक पुराना होने से एडवर्स पजेशन के आधार पर भी खातेदार हो चुके हैं। अतः वादी को विवादित आराजी नंबर 3278 व 3759/3278 कुल किता 16 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08.01.2020 से वादी का वाद डिक्री किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, किन्तु रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अभिभाषक अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया [illegible] अधिनस्थ न्यायालय ने 5 बिस्वा भूमि का [illegible] से वसूलने का आदेश दिया है, जो त्रुटि पूर्ण है क्योंकि विवादित आराजियात मौरूसी होकर उस पर अपीलान्ट का 35 वर्षो से निरन्तर [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.14 14:59:42 IST
Reason: SelfAttested

चला आ रहा है एवं उक्त आराजियात पारिवारिक बंटवारे में वादी के हिस्से में आयी है, किन्तु गलती से जो भूमि वादी के पिता के नाम दर्ज होनी थी वह प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के पिता के नाम दर्ज हो गयी एवं जो भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के पिता के नाम दर्ज होनी थी वह वादी के पिता के नाम दर्ज है। क्योंकि भूमि का किसी अन्य व्यक्ति को किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर हस्तान्तरण नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय का स्टाम्प शुल्क वसूली का आदेश त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में लगायी गयी शर्त कि ''5 बिस्वा भूमि का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क वादी से वसूल कर राजकोष में जमा कराने के पश्चात डिक्री की पालना की जावे।'' को निरस्त किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय का शेष निर्णय यथावत रखा जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर **DNJ 2020 (SC) Page 714 एव रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908** प्रस्तुत कर न्यायालय का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट किया।

हमने बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में यह स्पष्ट माना है कि ''चूंकि विभाजन के दौरान सहवन से आराजी नंबर गलत अंकित हो गये हैं, जबकि वादी व प्रतिवादी अपने–अपने हिस्से पर काबिज हैं। इसलिए कब्जे के आधार पर आराजियात का आपस में संशोधन करना न्यायहित में उचित है।'' अधिनस्थ न्यायालय का उपरोक्त विवेचन रेकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों की रोशनी में विधि सम्मत है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय के अंत में यह शर्त लगा दी कि ''5 बिस्वा भूमि का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क वादी से वसूल कर राजकोष में जमा कराने के पश्चात डिक्री की पालना की जावे।'' अधिनस्थ न्यायालय का यह विवेचन अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों अनुसार विधि विरूद्ध प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.01.2020 में लगायी गयी यह शर्त कि ''5 बिस्वा भूमि का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क वादी से वसूल कर राजकोष में जमा कराने के पश्चात डिक्री की पालना की जावे।'' इस पर पुनः अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुए साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.12.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 17.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भारसाधक अधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.14 14:59:42 IST
Reason: SelfAttested